निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /CT-84/2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन असिस्टेंट कमिश्नर (क.नि.)-खण्ड-**VIII**, वाणिज्य कर, देहरादून एवं वाणिज्य कर अधिकारी (क.नि.) खण्ड-8 वाणिज्य कर देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

असिस्टेंट कमिश्नर (क.नि.)-खण्ड- **VIII**, वाणिज्य कर, देहरादून एवं वाणिज्य कर अधिकारी (क.नि.) खण्ड-8 वाणिज्य कर देहरादून के माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री प्रवीण कुमार एवं श्री बी.एम. त्रिपाठी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री निखिल गोस्वामी व.ले.प. द्वारा दिनांक 09.10.2017 से 17.10.2017 तक श्री हिमांशु मणि लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)**परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री पी.के. गुप्ता, नीरज कुमार श्रीवास्तव एवं अंशुमन अग्रवाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक. 27.10.2016 से 05.11.2016 तक श्री राजकुमार लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण मे सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2015 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः –राजस्व संग्रह, माजरा, टी.पी. नगर, शिमला बाईपास निरंजनपुर मोहब्बेवाला

(अ) राजस्व विवरण

विगत 3 वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹लाख मे)
2014-15	2160.43
2015-16	2702.76
2016-17	2106.72

(ii)(स) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षो में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(₹ लाख में)

वर्ष	आवंटन		स्थापना व्यय `		अभ्यर्पित राशि
	आयोजनेत्तर	आयोजनेत्तर	आयोजनेत्तर	आयोजनेत्तर	
डी.डी.ओ कार्य नहीं किया जाता है।					

(l) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन बजट आवन्टन नहीं प्राप्त होता है। गैर स्थापना राजस्व संग्रह को सम्मिलित न करते हुए इकाई ए श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

वित्त सचिव **>** आयुक्त कर, वाणिज्य कर**>** ज्वाइंट कमिश्नर, वाणिज्य कर**>** डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर**>** सहायक आयुक्त , वाणिज्य कर**>** वाणिज्य कर अधिकारी,

2. **(V)** लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में असिस्टेंट कमिश्नर (क.नि.)-खण्ड- **VIII**, वाणिज्य कर, देहरादून एवं वाणिज्य कर अधिकारी (क.नि.) खण्ड- **VIII** वाणिज्य कर देहरादून को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन असिस्टेंट कमिश्नर (क.नि.)-खण्ड- **VIII** वाणिज्य कर, देहरादून एवं वाणिज्य कर अधिकारी

(क.नि.) खण्ड- **VIII** वाणिज्य कर देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन **:-**

राजस्व**:** माह .....--..... को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: डी.डी.ओ कार्य नहीं किया जाता

(vii) योजना का चयन :- कोई नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2 (अ)

प्रस्तर 1 कर का न्यूनारोपण ₹10.40 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4 (2)(ख)(i)(ई) के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल के सम्बन्ध में 13.5% की दर से करदेयता है।

पुनः पत्रांक 2163/धारा-57/आयु.क.उत्तरा.दे.दून/2008-09 कार्यालय आयुक्त कर उत्तराखण्ड धारा-57 अनुभाग दिनांक देहरादून दिनांक 19 सितम्बर 2008 के अनुसार Tread Rubber (जो कि टायर व टयूब की रिट्रीडिंग के लिये प्रयोग होता है) पर 13.5% की दर से कर देयता है।

कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर (क.नि.) खण्ड VIIIवाणिज्य कर देहरादून एवं वाणिज्य कर अधिकारी (क.नि) खण्ड VIII वाणिज्य कर देहरादून की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न वस्तुओं जिस पर 13.5% की दर से कर देयता है, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कम दर से कर आरोपित किया।

व्यापारी का नाम	क.नि.वर्ष	वस्तु का नाम	विक्रय की धनराशि (₹)	क.नि. अधिकारी द्वारा आरोपित कर की दर	वास्तविक कर की दर	अन्तरीय दर	अन्तरीय दर से आरोपित कर की धनराशि (₹)
सर्वश्री ग्लोबल टायर्स	2013-14	टायर रिट्रीडिंग मैटीरियल	4568198	5%	13.5%	8.5%	388297/-
सर्वश्री ग्लोबल टायर्स	2014-15	टायर रिट्रीडिंग मैटीरियल	4611232	5%	13.5%	8.5%	391955/-
सर्वश्री कोसी कम्यूनिकेशन	2012-13 2013-14 2014-15	इलेक्ट्रानिक गुडस व डिस्पले पैनल इलेक्ट्रानिक गुडस व डिस्पले पैनल इलेक्ट्रानिक गुडस व डिस्पले पैनल	563650 94600 682732 877011	5% 4.5% 5% 5%	13.5%	8.5% 9% 8.5% 8.5%	47910/- 8514/- 58032/- 74546/-
सर्वश्री शिव शक्ति	2013-14	प्लास्टिक स्क्रैप	247502	5%	13.5%	8.5%	21038/-

पेट ट्रेडर्स							
सर्वश्री प्रेम ट्रेडर्स	2013-14	किचेन वेयर एवं गलास गुड्स	584245	5%	13.5%	8.5%	49661/-
						योग	1039953/-

इस प्रकार कम दर से करारोपण होने के कारण ₹1039953/- का कर लगने से छूट गया। इस पर नियमानुसार ब्याज भी देय है।

इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा व्यापारी सर्वश्री ग्लोबल टायर्स के सम्बन्ध में बताया कि Retreated Tyres Material मूलतः एक रबड़ है, जो टायर पर चढ़ाई जाती है जो कि Sch II(B) -96 से आच्छादित है। व्यापारी सर्वश्री कोसी कम्यूनिकेशन के सम्बन्ध में बताया कि फर्म द्वारा LED Panels का कार्य किया गया है।LED panels Schedule (II) B में वर्गीकृत किया गया है। व्यापारी सर्व श्री शिव शक्ति पेट ट्रेडर्स एवं व्यापारी सर्वश्री प्रेम ट्रेडर्स के सम्बन्ध में जांचोपरान्त कार्यवाही कर आश्वासन दिया है।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि Retreated Tyres Material के सम्बन्ध में कार्यालय आयुक्त कर उत्तराखण्ड द्वारा धारा 57 के अन्तर्गत 13.5% की दर से कर देयता बतायी है जो कि कर निर्धारण अधिकारी के लिये बाध्यकारी है एवं इलेक्ट्रानिक गुडस एवं डिस्पले पैनल जो कि अवर्गीकृत है पत्रावली में संलग्न क्रय सूची, ट्रेडिंग एकाउंट तथा कर निर्धारण आदेश में बिक्री की गयी वस्तु इलेक्ट्रानिक्स गुड्स व डिस्पले पैनल का उल्लेख किया गया है न कि LED Panels.

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर01- आई.टी.सी. अधिक दिये जाने से राजस्व क्षति ₹4.68 लाख

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 6(2)के प्रावधानों के अनुसार इनपुट टैक्स का लाभ जिसके लिये पंजीकृत व्यौहारी हकदार होगा, कर की वह धनराशि होगी जो कर अवधि के दौरान ऐसे प्रयोजन हेतु और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जैसी कि इस धारा में विनिर्दिष्ट है, किये गये क्रय के क्रयधन पर पंजीकृत व्यौहारी द्वारा विक्रेता व्यौहारी को भुगतान किया गया है, और जिसकी गणना ऐसी रीति से की जायेगी जैसी की विहित की जाये।

कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर (क.नि.) खण्ड VIII वाणिज्य कर देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री विन्डलोस इन्जी. एण्ड बिल्डर्स प्रा.लि. कर नि. वर्ष 2014-15 में आई.टी.सी. 1% वाली वस्तु पर ₹1717 , 5% वाला वस्तु पर ₹22,863/-, 11.5% वाली वस्तु पर ₹ 26,918/- और 13.5% वाली वस्तु पर ₹23,078 अर्थात कुल ₹74,576/- का लाभ लिया गया था। लेकिन कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने आदेश में संगत वर्ष में व्यापारी को ₹5,89,910/- का आई.टी.सी का लाभ दिया गया था। आगे कर निर्धारण आदेश में 13.5% की दर से बिक्री वाली वस्तु ₹1,28,849/- पर ₹1,73,946/- का कर आरोपित कर दिया गया था। जबकि उपरोक्त वस्तु पर 13.5% की दर से ₹17,394/- का कर आरोपित होना चाहिए था। इस प्राकार संगत वर्ष में व्यापारी द्वारा निम्न प्रकार से कर आरोपित होना चाहिए था।

बिक्री(₹)	दर	कर(₹)
24,37,184/-	5%	1,21,859
1,28,849/-	13.5%	17,394

	कुल	1,39,253

चालानों द्वारा जमा कर ₹79,893/- तथा संगत वर्ष में लिया गया आई.टी.सी ₹74,576/- एवं गत वर्ष की समायोजन राशि₹ 14,178/- इस प्रकार व्यापारी द्वारा कुल जमा राशि ₹1,68,647/- अतः व्यापारी को ₹29,394(1,68,647-1,39,253) की अधिक जमा राशि आगामी वर्षों के लिये समायोजन योग्य थी। लेकिन कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ₹4,97,876/- का अधिक जमा कर आगामी वर्षों के लिये कर दिया गया था।

इस प्रकार व्यापारी को अधिक दिया गया ₹ 4,68,482/- (4,97,876-29,394) का आई.टी.सी. रिवर्स योग्य था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि धारा 30 में संशोधन कर दिया जायेगा।

प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर 2 - कम दर से करारोपण ₹2.47 लाख

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2)(ख)(ई) के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल के सम्बन्ध में 13.5% की दर से करदेयता है।

कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर (क.नि.) खण्ड VIII वाणिज्य कर देहरादून की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी क.नि. वर्ष 2012-13 द्वारा 12 आयात घोषणा पत्र का प्रयोग कर ₹3817988/- की खरीद कच्चे माल, पैकिंग, मेडिकल इक्यूपमेंट आदि की खरीद किया जाना दर्शाया था। पत्रावली में संलग्न प्रपत्र 16 की अनुसूची के अनुसार ₹29,03,486/- के सर्जिकल Knife की खरीद की गयी थी। पत्रांक/आयुक्त क. उत्तरा./धारा-57/अनुभाग/वा.क./2012-13/देहरादून/दिनांक 23.07.2012 के अनुसार सर्जिकल आइटम को उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की किसी भी अनुसूची से अनाच्छादित मानते हुये 13.5% की दर से करारोपित माना गया है।

इस प्रकार व्यापारी द्वारा ₹29,03,486/- के Surgical Knife के खरीद को 5% की वस्तु में शामिल कर बिक्री की गयी। अतः यदि ₹29,03,486/- में लाभ न भी जोड़ा तो भी अन्तरीय दर 8.5%(13.5-5) की दर से 2,46,796/- का और कर आरोपणीय है, जिस पर नियमानुसार ब्याज भी देय है।

इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया कि फर्म पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया कि फर्म द्वारा मेडिकल Equipments का कार्य किया जाता है, जो अनुसूची 2B से आच्छादित है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि फार्म 16 की सूची में खरीद की गयी वस्तु Surgical Knife है, जो की Surgical Goods की श्रेणी में आता है।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2(ब)

प्रस्तर03- कर का अनारोपण ₹2.52 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2)(ख)(ई) के प्रावधानों के अनुसार किसी भी अनुसूची से भिन्न वस्तुओं पर 13.5% की दर से कर आरोपणीय होगा।

कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर (क.नि.) खण्ड VIII वाणिज्य कर, देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री प्लाजा केबल्स इलैक्ट्रीक प्रा.लि. क.नि. वर्ष 2014-15 में 13.5% के वस्तु की व्यापारिक स्थिति निम्न प्रकार से दर्शाया गया-

आरम्भिक रहतिया(O.B)	-	₹53,283/-
खरीद (P आयतित)	-	₹3,23,332/-
बिक्री	-	₹1,07,956/-
अन्तिम रहतिया(C.B)	-	₹965/-

आगे पत्रावली जांच में पाया गया कि व्यापारी द्वारा आयतित खरीद सूची फार्म-16 को प्रयोग कर ₹19,25,766 का इलैक्ट्रीकल गुडस की खरीद की गयी थी जो 13.5% की वस्तु है।

इस प्रकार व्यापारी द्वारा नियमानुसार बिक्री = आरम्भिक रहतिया+खरीद-अन्तिम रहतिया

बिक्री= 53,283+19,25,766-965

= 19,78,084

जबकि व्यापारी द्वारा 13.5% वालाR वस्तु ₹1,07,956/- पर कर आरोपित किया गया था। तथा शेष ₹18,70,128(19,78,084-1,07,956) पर बिक्री पर लाभ न भी जोडा जाये तो 13.5% की दर से ₹2,52,467/- का कर आरोपित किये जाने से रह गया था। जिस पर जमा करने की तिथि तक ब्याज भी आरोपणीय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि फर्म द्वारा इंडस्ट्रीयल वायर्स का कार्य किया जाता है। विभाग का उत्तर मान्य नहीं होगा क्योंकि पत्रावली में संलग्न फार्म-16 की सूची में इलैक्ट्रीकल गुडस के क्रय करने का उल्लेख किया गया है जिस पर नियमानुसार 13.5% की दर से कर आरोपणीय है।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2(ब)

प्रस्तर04 अर्थदण्ड का अनारोपण₹ 0.38 लाख

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 58(1)(VII)(ख) के अनुसार यदि कोई व्यापारी अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं करता है तो देय कर का कम से कम दस प्रतिशत किन्तु अधिक से अधिक पच्चीस प्रतिशत, यदि कर दस हजार रूपये तक हो, और देय कर का पचास प्रतिशत, यदि कर दस हजार रूपये से अधिक हो अर्थदण्ड आरोपणीय है।

कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर (क.नि.) खण्ड VIII वाणिज्य कर देहरादून की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि निम्न विवरण के अनुसार व्यापारियों द्वारा देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया था।

व्यापारी का नाम	क.नि.वर्ष	माह	जमा करने का निर्धारित दिनांक	जमा करने का वास्तविक दिनांक	धनराशि(₹)	अर्थदण्ड न्यूनतम 10% (₹)
सर्वश्री डी.एस.एण्टरप्राइजेज	2013-14	02/2014	25.03.2014	04.04.2014	212027/-	21203/-
सर्वश्री हरि मार्बल एण्ड ग्रेनाइट शिमला बाईपास रोड बडोवाला देहरादून	2013-14	04/2013 05/2013 06/2013 07/2013 08/2013 09/2013 10/2013 11/2013 12/2013	25.05.2013 25.06.2013 25.07.2013 25.08.2013 25.09.2013 25.10.2013 25.11.2013 25.12.2013 25.01.2014	 23.07.2013 23.10.2013 29.01.2014	198520/-(त्रैमासिक जमा किया गया जबकि मासिक जमा करना चाहिये) 287687/-(त्रैमासिक जमा किया गया जबकि मासिक जमा करना चाहिये) 279746/-(त्रैमासिक जमा किया गया जबकि मासिक जमा करना चाहिये)	माहवार कर धनराशि अलग अलग नहीं की गयी है इसलिये सही अर्थदण्ड बताना सम्भव नहीं है।
सर्वश्री हरि मार्बल एण्ड ग्रेनाइट शिमला बाईपास रोड बडावाला देहरादून	2013-14	01/2014 02/2014 03/2014	25.02.2014 25.03.2014	24.04.2014	248595/-(त्रैमासिक जमा किया गया जबकि मासिक जमा करना चाहिये)	-"-
सर्वश्री वर्धमान एजेन्सी स्ट्रीट नं. 10 चमन विहार निरंजनपुर देहरादून	2011-12	04/2011 07/2011 10/2011	25.05.2011 25.08.2011 25.11.2011	30.05.2011 14.09.2011 30.11.2011	107450/- 15870/- 45619/-	10745/- 1587/- 4561/-
					योग	38096/-

इस प्रकार उपरोक्त विवरण के अनुसार 38096/- अर्थदण्ड आरोपणीय था जिसे आरोपित नहीं किया गया।

इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया कि विलम्ब से जमा कर ब्याज सहित जमा किया है विवरणी समय से दाखिल की गयी है।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि कर पर ब्याज जमा नहीं किया गया है। यदि ब्याज जमा भी होता तो भी अर्थदण्ड आरोपणीय है।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 (ख)

प्रस्तर 05 अमान्य प्रपत्र एफ पर कर मुक्त किये जाने से कर का अनारोपण ₹.098/- लाख।

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 6A(1) के अनुसार यदि कोई व्यापारी एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त स्टाक ट्रान्सफर करता है एवं यह दावा करता है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत वह कर का दायी नहीं है तो वह निर्धारित प्रारूप में एक घोषणा पत्र दाखिल करेगा।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /CT-84/2017-18

कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर (क.नि.) खण्ड-VIII वाणिज्य कर देहरादून की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि व्यापारी सर्व श्री ब्रशवक्स पेन्ट लि. ट्रान्सपोर्ट नगर देहरादून टिन नं. 05012974745 क.नि. वर्ष2013-14 द्वारा दो प्रपत्र एफ क्रम सं. 12329773191214 एवं 12324232101214 द्वारा₹ 12,691/- एवं ₹60,580/- कुल ₹73,271/- पेन्टस हेतु संव्यवहार क्रमशः माह जून 2013 एवं दिसम्बर 2013 के लिये किया गया था। जिस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर मुक्त कर दिया गया। जबकि उक्त दोनों प्रपत्र एफ क्रमशः माह जुलाई (2013-14) एवं जनवरी (2013-14) के लिये वैध था।

अतः उक्त दोनों प्रपत्र एफ अमान्य होने के कारण ₹73,271/- पर 13.5% की दर से ₹9,891/- कर आरोपणीय था जिसे आरोपित नहीं किया गया।

इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा आस्ति स्वीकार करते हुये व्यापारी को नोटिस देकर कम जमा किया गया कर जमा करवाने का आश्वासन दिया है, जिसकी लेखा परीक्षा में प्रतीक्षा रहेगी।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-**III**

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
CT-33/2014-15	01	01

CT-29/2015-16	-	01,02,03 STAN
CT-24/2016-17	01	01,02,03,04,05,06

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य –टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य –टिप्पणी शून्य

भाग-**V**

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु असिस्टेंट कमिश्नर (क.नि.)-खण्ड- **VIII**, वाणिज्य कर, देहरादून एवं वाणिज्य कर अधिकारी (क.नि.) खण्ड- **VIII** वाणिज्य कर देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. सतत् अनियमितताएः
   शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्रीमती वन्दना नौटियाल	असिस्टेंट कमिश्नर
(ii)	श्रीमती अनामिका सिंह	वाणिज्य कर अधिकारी
(iii)	श्रीमती रागिनी बहुगुणा	वाणिज्य कर अधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति असिस्टेंट कमिश्नर (क.नि.)-खण्ड- **VIII**, वाणिज्य कर, देहरादून एवं वाणिज्य कर अधिकारी (क.नि.) खण्ड- **VIII** वाणिज्य कर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र